न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/205

1. प्रभू पुत्र भूरा जाति रेबारी ।
2. भोलाराम पुत्र भूरा जी जाति रेबारी ।
3. मदन पुत्र भूरा जी जाति रेबारी निवासीगण ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी

——अपीलान्ट

बनाम

1. महावीर पुत्र भोज्या आयु 60 वर्ष जाति गुर्जर ।
2. हनुमान पुत्र भोज्या आयु 58 वर्ष जाति गुर्जर ।
3. सीताराम पुत्र भोज्या आयु 56 वर्ष जाति गुर्जर ।
4. हंसराज पुत्र भोज्या आयु 54 वर्ष जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. मनीष पुत्र बलराम आयु 11 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता बीसरी पत्नी बलराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. आशाराम पुत्र बलराम आयु 07 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता बीसरी पत्नी बलराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. पूजा पुत्री बलराम आयु 13 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता बीसरी पत्नी बलराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. भारती पुत्री बलराम आयु 09 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता बीसरी पत्नी बलराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. बीसरी पत्नी बलराम आयु 35 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. कैलाश पत्नी भोल्या आयु 80 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. शंकर पुत्र हरजी आयु 59 वर्ष जाति रेबारी निवासी ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
12. श्योजी पुत्र हरजी आयु 57 वर्ष जाति रेबारी निवासी ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
13. शैतान पुत्र हरजी आयु 55 वर्ष जाति रेबारी निवासी ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
14. प्रभू पुत्र हरजी आयु 53 वर्ष जाति रेबारी निवासी ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
15. बहादुर पुत्र हरजी आयु 50 वर्ष जाति रेबारी निवासी ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
16. सोहन पुत्र हरजी आयु 48 वर्ष जाति रेबारी निवासी ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

17. फौरूलाल पुत्र हरजी आयु 45 वर्ष जाति रेबारी निवासी ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
18. सांगरी पत्नी हरजी आयु 78 वर्ष जाति रेबारी निवासी ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
19. राजस्थान राज्य सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 व 9 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.08.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 04.09.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 10 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एवं वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रासहाली तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 59 में खसरा नम्बर 52 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 53 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 58 रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 204/97 रकबा 05 बीघा कुल किता 04 कुल रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमियॉ प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की भूमियॉ हैं । चरण संख्या 01 में वर्णित खातेदारी की भूमि पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही खसरा नम्बर 56 व 57 की मेर पर होते हुए खसरा नम्बर 20 व 19 में होकर डामर रोड पर पहुंचते हैं । उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है । खसरा नम्बर 56, 57, 20 व 19 अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमियॉ हैं जो बाहमी विभाजन में अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 8 के हिस्से में आयी है । खसरा नम्बर 56 व 57 की मेर पर स्थित विवादित रास्ते को नक्शा ट्रेस में डोट–डोट से दर्शा रखा है, परन्तु इसके बाद का रास्ता जो खसरा नम्बर 20 व 19 में स्थित है नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं होने से अप्रार्थीगण द्वारा विवादित रास्ते की भूमि को हांक जोत कर हांक दी जाती है जिससे प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की भूमि पर पहुंचना मुश्किल होता है । उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में जाने के लिए उपलब्ध नहीं है । प्रार्थीगण को अपने खातेदारी

की भूमियों पर पहुंचने के लिए करीब 15 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है ताकि प्रार्थीगण को अपने कृषि यंत्रों को लाने ले जाने में परेशानी नहीं हो ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि चरण संख्या 01 में वर्णित भूमियों पर पहुंचने के लिए नक्शा परिशिष्ट "अ" में वर्णित विवादित रास्ते A से B को बहाल करवाकर B से C रास्ते को नक्शा ट्रेस व अन्य भू–राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में तरमीम किया जावे एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 8 को पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" में वर्णित विवादित रास्ते को फाडकर अपनी भूमियों में नहीं मिलावें, रास्ते को नष्ट, भ्रष्ट नहीं करें, विवादित रास्ते में होकर प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन व सुखाधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.09.2020 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर आने–जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार 15 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट खसरा नम्बर 16 के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे । इस कारण अपीलान्ट को सूचना एंव सुनवाई का अवसर नहीं मिला है न ही उक्त आदेश को मानने के लिये अपीलान्ट बाध्य है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण पक्षकार नहीं थे इस कारण अपीलान्टगण को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी नहीं थी । अपीलान्टगण द्वारा एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें नोटिस भी जारी हो गये हैं । अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को मौके पर रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 10 के द्वारा रास्ता निकालने का प्रयास करने व राजस्व कर्मचारियों को लाने पर दिनांक 09.08.2021 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु दिनांक 10.08.2021 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 12.08.2021 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपीलान्टगण ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे । अपीलान्टगण को बिना सुने निर्णय पारित किया गया है जिससे प्रार्थीगण अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं ।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण हितबद्ध पक्षकार हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था । अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 16 की मेर से होकर रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया गया है । अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अतः न्यायहित में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 10 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार कर खसरा नम्बर 57 में से होकर रास्ता दिये जाने का आदेश पारित कर दिया परन्तु रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 10 उक्त आदेश की आड में अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 16 की मेड से रास्ता कायम करने पर आमादा होने और नक्शे में तरमीम करवाकर मौके पर रास्ता निकालने पर आमादा होने की जानकारी प्राप्त होने पर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में की गई है । परीक्षण न्यायालय में जो परिशिष्ट "अ" प्रस्तुत हुआ उसमें खसरा नम्बर 57 के दोनों विपरीत दिशाओं में डॉट–डॉट का अंकर कर दिया इसी का लाभ लेते हुए जानबूझकर अपीलान्ट के खेत से रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं जिसका रेस्पोडेन्टगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलान्ट खसरा नम्बर 16 के रिकॉर्डेड खातेदार हैं जिन्हें परीक्षण न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2020 निरस्त फरमाया जावे । यदि निर्णय 04.09.2020 तथा प्रार्थी द्वारा परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार अनुतोष किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है । उक्त निर्णय की आड में हमारी खातेदारी की भूमि से कोई छोडछाड नहीं की जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में प्रार्थीगण कम 1 लगायत 10 रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट "अ" प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार ही परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कायम किये जाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । हमे अपीलान्ट की भूमि में से किसी प्रकार का रास्ता नहीं चाहिए । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय

मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया था इसलिए उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं हुई । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 10 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार रास्ता कायम किये जाने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिया है । न्यायालय हाजा में उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण इस तथ्य पर सहमत हैं कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2020 के अनुसार रास्ता दिया जावे एवं तरमीम की जावे । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि हमे अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 16 में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं चाहिए । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि यदि निर्णय दिनांक 04.09.2020 के अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । इस पर विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने सहमति प्रकट की । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने स्वयं के प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष अनुसार ही रास्ता चाहे जाने का कथन किया । अतः विद्वान् अभिभाषकगणों के बहस में किये गये कथनों से स्पष्ट है कि अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 16 की भूमि में रास्ता नहीं चाहा गया है । अतः प्रस्तुत अपील का कोई औचित्य शेष नहीं रहता ।

14. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2020 बहाल रखा जाता है । निर्णय की एक प्रति तहसीलदार नैनवा को पालनार्थ प्रेषित की जावे ।

15. निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा